राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4077/2024

मान सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी लूणकरणसर, जिला बीकानेर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. कैलाश सिंह पुत्र सुगन सिंह, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी करणीनगर लालगढ़, बिछवाल, जिला बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री एस.के.भाटी, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

03/07/2024

1. याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 409 के तहत पुलिस स्टेशन लूणकरणसर, जिला बीकानेर में दर्ज एफआईआर संख्या 0276/2023 दिनांक 23.10.2023 को रद्द करने की मांग की है।

2. इस याचिका के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 21.10.2023 को जिला कलेक्टर और आरएसजीएसएम ने शराब डिपो लूणकरणसर के भौतिक सत्यापन के लिए एक समिति गठित की, जहां कुल 3,819 कार्टन शराब गायब पाई गई। इसके बाद, 19.10.2023 के एक आदेश के तहत एसडीओ द्वारा एक और समिति का गठन किया गया, जिसने रिपोर्ट दी कि 2,609 कार्टन गायब थे। याचिकाकर्ता, जो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, का दावा है कि प्रभारी रूपेंद्र सिंह याचिकाकर्ता को यह आश्वासन देने के बाद 15.04.2023 से छुट्टी पर चले गए कि सभी स्टॉक अद्यतित हैं। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता को एफआईआर में भी फंसाया गया है। वह निर्दोष है और उसे झूठे आरोपी के रूप में

पेश किया गया है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुना है।

5. आरंभ में ही विद्वान लोक अभियोजक ने कहा कि जांच अभी भी जारी है और सच्चाई सामने आ जाएगी और याचिकाकर्ता को जांच के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना ही मुकदमा दायर कर दिया गया है। यदि जांच के दौरान वह निर्दोष पाया जाता है तो उसे आरोपियों की सूची से हटा दिया जाएगा।

6. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा लिया गया रुख उचित प्रतीत होता है।

7. किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने और केस फाइल के साथ-साथ एफआईआर की सामग्री का अवलोकन करने के बाद, मेरा मानना है कि न केवल इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्क, बल्कि अन्यथा भी याचिका में लिए गए सभी आधार तथ्यात्मक दावे हैं और कानून में कोई अवैधता या कोई अनियमितता नहीं बताई गई है जिससे इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े।

8. इसके अलावा, यह सामान्य कानून है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय में निहित विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, एफआईआर की सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि उसे पढ़ने पर आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता, जिसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

9. वर्तमान मामले में, एफआईआर में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इसे रद्द करने की मांग की जा सके। कहने की जरूरत नहीं है कि सच्चाई केवल जांच के दौरान ही सामने आएगी और इस प्रारंभिक चरण में इस अदालत को एफआईआर की सत्यता पर फैसला सुनाते समय इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए।

10. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है कि याचिकाकर्ता कानून के तहत अपना उपाय खोज सकता है, जो अन्यथा जांच पूरी होने के बाद सक्षम अदालत के समक्ष उचित चरण में उसके लिए उपलब्ध हो सकता है।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करने को एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर योग्यता की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और जांच एजेंसी इस न्यायालय के हस्तक्षेप न करने से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।